International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 03, July - September, 2020, pp.123-132

विवाह संस्था में परिवर्तनः वर्तमान भारतीय परिदृश्य में

अनीता ज्याणी*

प्रस्तावना

विवाह का सामान्य अर्थ

विवाह महिलाओं और पुरूषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। जिस संस्था द्वारा मानव यौन सम्बन्धों को नियमन करता है, उसे विवाह की संज्ञा दी जाती है। विवाह एक प्रजननमूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि है। विवाह महिला–पुरूष का ऐसा योग है, जिसमें महिला से जन्मा बच्चा माता–पिता की वैध सन्तान माना जाता है। विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजनों के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन क्रिया एवं उससे सम्बंधित सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। विवाह समाज एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पद्वति है जिसके द्वारा महिला–पुरूष परिवार की स्थापना करते है तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ करते है, यौन–इच्छा की पूर्ति करते है, सन्तानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण तथा समाजीकरण करते है। विवाह द्वारा ही पति–पत्नी तथा सन्तानों में परस्पर सामाजिक, आर्थिक, कानूनी अधिकार तथा कर्तव्यों की व्यवस्था होती है।

विवाह की परिभाषा

बोगार्डस के अनुसार, ''विवाह स्त्री और पुरूष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है।''[1]

जॉनसन के अनुसार, ''विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरूष और एक स्त्री, समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोये बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते है।''[2]

ई. वेस्टरमार्क के अनुसार, ''विवाह को एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध कहकर परिभाषित किया जा सकता है कि जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा स्वीकृत हो और जिसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का समावेश होता है।''[3]

गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, ''विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त विधि है।''[4]

विभिन्न धर्मों में विवाह

विवाह धार्मिक संस्कार माना गया है। हिन्दुओं में प्रचलित 16 संस्कारों में से विवाह को एक प्रमुख संस्कार माना गया है। जिसका उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। विवाह को निम्न धर्मों के आधार पर बताने का प्रयास किया गया है–

हिन्दू धर्म

भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों का अस्तित्व है तथा ये विभिन्न धार्मिक समुदाय एकसाथ मिलजुलकर सहयोग एवं सौहार्द के वातावरण में आपस से अतःक्रिया करते है। भारत में प्रमुख धार्मिक समुदाय है– हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। हिन्दू धर्म भारत की जनसंख्या का 79.80 प्रतिशत है। इनकी साक्षरता दर 65.1 तथा लिंगानुपात 939 है।

---

6 सहायक आचार्या, समाजशास्त्र विभाग, सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।

हिन्दू विवाह का अर्थ और परिभाषाएं

विवाह मानव समाज की सबसे मौलिक व सामाजिक संस्थाओं में से एक हैं। प्राचीन काल से विवाह समाज में व्यवस्था एवं अनुशासन बनायें रखने का प्रमुख माध्यम रहा हैं। इसके बिना समाज मुक्त यौन संबंधों की अराजकता में भटक गया होता। इसका स्वरुप, प्रकृति तथा प्रक्रियाएं अलग अलग समाजों में एक जैसी नहीं होती। उसके बावजूद इस संस्था में कई सार्वभौमिक एवं सामान्य तत्व एवं प्रकार्य हैं। हिन्दू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया हैं। विवाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है कि विशेष रुप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मो में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता हैं, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिन्दू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म–जन्मांतरों का संबंध होता हैं। जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे ले कर और ध्रुवतारा को साक्षी मान कर, दो तन–मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिन्दू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक सम्बंध होता है और इस से विविध संस्थाओं के अध्ययन के लिए विविध विज्ञान पृथक सन्दर्भो का प्रयोग करते है। समाज वैज्ञानिकों ने भी विविध क्षेत्रों में विवाह संस्था की कल्पना विविध प्रकार से की है। विवाह के सम्बन्ध में प्रचलित विचार यह हैं कि यह महिला–पुरूष के बीच का संयोग है जबकि लॉवी, मरडॉक तथा वेस्टरमार्क जैसे मानवशास्त्रियों ने इस संयोग में सामाजिक स्वीकृति पर बल दिया है, और इस तथ्य पर कि यह विविध संस्कारों एवं समारोहों द्वारा किस प्रकार सम्पन्न होता हैं। विवाह प्राथमिक सम्बन्धों की भूमिकाओं की एक व्यवस्था हैं।

परिभाषाएं

के.एम. कपाड़िया के अनुसार, ''यह दूसरे रूप में एक धार्मिक विधि है। एक हिन्दू अपने जीवन में अनेक धार्मिक संस्कारों से गुजरता है। इसका आरम्भ गर्भावस्था से होता है और अंत्येष्टि क्रिया के साथ समाप्त होता है।''[5]

आर.एन. सक्सेना के अनुसार, ''हिन्दू विवाह की परिभाषा एक संस्कार के रूप में की जा सकती है जिसमें स्त्री और पुरूष भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के निमित अर्थसंगत ढ़ंग से संतानोत्पत्ति और यौन संतुष्टि के लिए स्थायी संबंध में बंध जाते है।''[6]

ईसाई धर्म

भारत में ईसाई धर्म की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 2.3 प्रतिशत है। इनकी साक्षरता दर 74.34 प्रतिशत तथा लिंगानुपात 1023 है। इसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह माने जाते है। इनकी धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। यह एक एकेश्वरवादी धर्म है। इसाई धर्म कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करता है जैसे– सार्वभौमिक भाईचारा, समतावादी दृष्टिकोण, नैतिक कार्यो पर बल, पापों एवं बुराईयों को क्षमा, गरीबों एवं कमजोर लोगों की सहायता आदि।

इसाई धर्म में शरीर, आत्मा एवं उद्धार की अवधारणा भी पाई जाती है। बाईबिल के अनुसार मनुष्य के पास शरीर एवं आत्मा होती है। जिसमें शरीर तो नष्ट हो जाता है किन्तु आत्मा अनंतकाल तक जीवित रहती है।

ईसाई धर्म में उद्धार का महत्व है। व्यक्ति की मृत्यू के पश्चात आत्मा के उत्तर जीवी होकर स्वर्ग में सुख–शान्ति से रहना ही उद्धार कहलाता है। पुनर्जन्म के विश्वास के संबंध में यह धर्म यह दर्शाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर एक बार ही जन्म लेता है एवं इसके कारण स्वर्गीय शांति के लिए उसके पास केवल एक अवसर होता है।

इस्लाम धर्म

इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। इसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 14.23 प्रतिशत है। साक्षरता दर 57.28 प्रतिशत तथा लिंगानुपात 951 तक। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण। इस्लाम में ईश्वर को एक माना गया है। उसे सर्वशक्तिमान शाश्वत् माना जाता है। यह माना जाता है कि मुसलमानों को ईश्वर या खुदा के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा खुदा उस पर अपनी कृपा करते है जो वाकी है एवं ईश्वर के आदर्शो को मानते है।

महिला व पुरूष को वयस्क होने पर निकाह के माध्यम से वैवाहिक सम्बन्धों में बांधा जाता है। वयस्क होने के बाद अविवाहित रहना इस्लाम में पसन्द नहीं किया जाता है। इस्लाम में सन्यास को नेकी नहीं समझा जाता बल्कि इसे धर्म के विरूद्ध माना है। इस संदर्भ में पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद साहब ने फरमाया ''निकाह मेरी सुन्नत है जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते वे मेरे सच्चे अनुयायी नहीं है।'' अतः प्रत्येक नवयुवक को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि बालिग (वयस्क) होने पर जल्दी से जल्दी उसको निकाह कर लेना चाहिये। निकाह के माध्यम से परिवार रूपी संस्था को संगठित तथा मजबूती प्रदान करना उद्देश्य है। इस उत्तरदायित्वपूर्ण सम्बन्ध (निकाह) को इस्लाम ने वैध ही घोषित नही किया बल्कि इसे नेकी और इबादत का दर्जा (स्थान) दिया है।[7]

मुस्लिम समाज में विवाह एक सादा रस्म है जो दो गवाहों के समक्ष वयस्क महिला तथा पुरूष की पारस्परिक स्वीकृति के साथ सम्पन्न हो जाती है। इसका समाज में ऐलान (घोषणा) करना आवश्यक है ताकि समाज में लोगों को निकाह सम्पन्न होने की सूचना हो जाये। वर्तमान भारतीय मुस्लिम समाज में विवाह में परिवर्तन हुए है जिसका प्रमुख कारण भारतीय हिन्दू समाज का प्रभाव है।

इस्लाम में ईश्वर के भेजे संदेश वाहन या पैगम्बर में विश्वास किया जाता है। यह माना जाता है कि ईश्वर विभिन्न युगो में मनुष्यों को अविश्वास (कुफ्र), मूर्ति पूजा (बुतपरस्ती) से बचाने के लिए एवं अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए पैगम्बरों को भेजता है। मोहम्मद साहब आरिजरी पैगम्बर माने जाते है।

सिख धर्म

भारत में सिख धर्मावलम्बीयों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.72 प्रतिशत है। इनकी साक्षरता दर 67.51 प्रतिशत है। इनका लिंगानुपात 903 है । इसके संस्थापक गुरूनानक है।

सिख धर्म की स्थापना 1694 में हुई। सिख शब्द का शाब्दिक अर्थ या इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ''शिष्य'' शब्द से मानी जाती है। शिष्य शब्द इस बात का प्रतीक है कि इस धर्म में गुरू के प्रति आस्था या गुरू के प्रति निष्ठा पर बल दिया जाता है। नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की पालना विशेष कर्त्तव्य माना जाता है। जिसमें ईमानदारी, समानता, ऊंच–नीच के भेदभाव को मिटाने पर बल दिया जाता है।

आनन्द कारज मैरिज एक्ट[8]

सिखों के विवाह के लिए अधिनियम तो वर्ष 1909 में ही बना था, लेकिन उसमें विवाह के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। स्वतंत्रता से पहले सिखों में शादियां गुरू ग्रन्थ साहिब की मौजूदगी में आनंद विवाह अधिनियम के तहत होती थी और 1955 तक ऐसा होता रहा। लेकिन 1955 में उसे निरस्त कर दिया गया और चार समुदायों (हिन्दू, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म) को जोड़ते हुए सिखों को भी हिन्दू विवाह अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा 2 फरवरी 2018 को सिखों के विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आनंद कारज मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान की गयी। इसके बाद 110 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार आनंद कारज मैरिज एक्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू हो गया। यह एक्ट लागू करने की मांग 1909 में पहली बार उठी थी। सिख सम्प्रदाय के लोगों की शादी के लिए बने आनंद कारज विवाह अधिनियम, 1909 में संशोधन पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंजूरी दे दी थी। इसलिए अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज विवाह अधिनियम, 2012 के तहत होगा।

विवाह संस्था में परिवर्तन

परम्परागत विवाह जहाँ परिवार एवं नातेदारी संबंधों द्वारा तय किया जाता था वहीं आज इंटरनेट तथा मैरिज ब्यूरो इस कार्य को करने लगे है। अखबारों में इच्छित जीवन साथी में चाही गई विशेषताओं या गुणों के साथ आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते है। आज की युवा पीढी के लडके जहां लम्बी, गोरी, उच्च शिक्षित

एंव खूबसूरत पत्नी की चाहत रखते है। वहीं लडकियां उच्च वेतन वाले एवं आकर्षण व्यक्तित्व को पंसद करती है, जिसका शहर में अपना एक अच्छा भौतिक सुख–सुविधाओं युक्त घर हो। लेकिन अखबार के वर्गीकृत विज्ञापनों में जातीय विवाह अभी भी महत्वपूर्ण है हांलाकि ऐसे लोग भी काफी संख्या में है जिनके लिए जाति कोई बंधन नहीं है।

पहले विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऋणों से उऋण होने हेतु आवश्यक माना जाता था। महिला के लिए तो विवाह मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों के दृष्टिकोण को बदला है तथा आज विवाह करना कई लोग आवश्यक नहीं मानते। कई युवाओं का दृष्टिकोण है कि विवाह कैरियर में बाधक है तथा वे अविवाहित रहना पसंद करते हैं। पहले कोई व्यक्ति अविवाहित रहता था तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। महिला के लिए तो अविवाहित रहना असंभव था, परन्तु अब इनको समान रूप से देखा जाता हैं। विवाह करना या नहीं करना व्यक्तिगत मामला माना जाने लगा हैं। अब समाज के प्रतिबंध इस मामले में पहले जैसे कठोर नहीं हैं।

विवाह संस्था में हुए परिवर्तनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विश्लेषित किया जा सकता है :–

- विवाह का उद्देश्य
- जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया
- विवाह का प्रकार
- विवाह की आयु
- विवाह के संस्कार
- विवाह के निषेधों में परिवर्तन
- सामाजिक विधानों से परिवर्तन
- बच्चों को वैद्वता प्रदान करने सम्बन्धी प्रकार्य में परिवर्तन
- दहेज प्रथा में वृद्धि
- अन्य परिवर्तन
- **विवाह के उद्देश्यो में परिवर्तन**

वर्तमान मे विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है जिनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन अग्रलिखित हैः–

विवाह के उद्देश्यों में धर्म, प्रजा, रति को महत्वपूर्ण माना जाता था। वर्तमान समय में धार्मिक उद्देश्य गौण हो गये है। रति आनन्द (यौन इन्छा की पूर्ति) महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। पुत्र प्राप्ति को ज्यादा महत्व न देते हुए दम्पत्ति 2 पुत्रियाँ होने के बाद सन्तानोत्पत्ति का विचार त्याग देते है।

विवाह का उद्देश्य आधुनिक महिलाओं के लिए पहले से बहुत बदल गया है। पुराने समय में धर्म का निर्वाह विवाह का प्राथमिक उद्देश्य था लेकिन अब साहचर्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है। विवाह के द्वारा युवा एक ऐसा जीवन – साथी प्राप्त करना चाहते है जो उनके साथ एक मित्र के रूप में रहे। इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों तथा आधुनिकता के प्रभाव के कारण बहुपत्नी प्रथा इतिहास की बात हो गई है तथा आजकल समाज में एक विवाह ही किया जाता है ये अलग बात है कि चोरी छिपे विवाह संबंधों को आज इंटरनेट एवं मोबाईल फोन जैसी तकनीकी उपकरणों ने आसान बना दिया है।[9]

- **वैवाहिक जीवन साथी के चुनाव में परिवर्तन**

पहले के समय में माता–पिता, सगे सम्बंधी विवाह के लिए लड़के–लड़की का चुनाव करते थे। अब इस प्रक्रिया में परिवर्तन आ गया है। युवक–युवती स्वयं ही जीवन साथी चुनने लगे है। माता–पिता युवक–युवती की सहमति होने पर ही हाँ करते है। विज्ञापनो के माध्यम से पत्र व्यवहार करके भी विवाह निश्चित किये जाते है। इसके अलावा माता–पिता द्वारा तय परन्तु लड़के की राय से, लड़के एवं लड़की की सहमति से माता–पिता द्वारा तय, लड़के एवं लड़की द्वारा तय करके माता–पिता की राय लिया जाना, स्वयं द्वारा तय।

- **विवाह के प्रकार में परिवर्तन**

नगरों महानगरों में युवक–युवती परस्पर सम्पर्क करते है। उनमें रोमांस चलता है तथा प्रेम होने पर वे विवाह कर लेते है। माता–पिता से अनुमति मांगते है। जहां माता–पिता सहमति देते है, व्यवस्था बनी रहती है एव असहमति होने पर व्यवस्था बिगड़ जाती है। सम्बन्ध टूट जाते है। वर–वधु विवाह कर लेते है। कुछ वर्षो बाद सब ठीक हो जाता है। प्रेम विवाह दिनों–दिन बढते जा रहे है। समाज में जाति व्यवस्था के प्रतिबन्ध कठोर थे। विवाह से सम्बन्धित प्रतिबन्ध ''जो जिस जाति का है उसी में विवाह करेगा।'' यह सबसे कठोर नियम तथा प्रतिबन्ध था। वर्तमान में यह प्रतिबन्ध शहरो, महानगरों, में टूट रहे है या कमजोर पडते जा रहे है। शिक्षित युवक–युवती अपनी पसन्द से प्रेम विवाह करने के लिए अन्तर्जातीय विवाह कर लेते है।

हिन्दू विवाह में अनेक परिवर्तन हो गये है। यह परिवर्तन परिवार तथा समाज से सम्बन्धित है। जैसे विवाह की आयु, उद्देश्य, प्रकार, विधि–विधान, रीति रिवाज, पति–पत्नी के अधिकार संस्कारात्मक प्रकृति आदि है। हिन्दू विवाह संस्कृति में ये परिवर्तन आधुनिक परिवेश की बदलती संस्कृति एवं बदलते प्रतिमानो के कारण है। संस्कारों में परिवर्तन से विवाह संस्कृति के नियमों में भी परिवर्तन आ गये है।

- **विवाह की आयु**

वर्तमान समय के युवा शिक्षा, रोजगार एवं अपने कैरियर को ज्यादा महत्व देते है जिससे विवाह की आयु मे परिवर्तन हुआ है। पहले के समय मे बाल विवाह का प्रचलन था। इसके बाद विवाह की आयु 18–21 वर्ष निर्धारित की गयी। परन्तु वर्तमान समय मे विलम्ब विवाह का ज्यादा प्रचलन हो गया है। 26 वर्ष तक युवा शिक्षा प्राप्त करते है बाद में विवाह के लिए सोचते है। युवक ही नही युवतियाँ भी वर्तमान मे अपने कैरियर को ही महत्व देती है। किन्ही परिस्थितियों मे पारिवारिक दबाव के कारण युवतियों का जल्दी विवाह हो जाता है। आधुनिक समय में युवाओं पर कैरियर एवं अकेले रहकर मौजमस्ती करने की जिन्दगी इस कदर होती है कि युवा विवाह को अब 28 से 30 वर्ष तक सोचने लगे है।

- **विवाह के संस्कार में परिवर्तन**

वर्तमान में विवाह को एक आवश्यक धार्मिक संस्कार नही माना जाता। पूर्व में विवाह को जन्म जन्मान्तर का बन्धन तथा अटूट सम्बन्ध माना जाता था। अब कानूनी आधार पर विवाह एक कानूनी समझौता या संविदा बन गया है। विवाह–विच्छेद को भी कानून द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गयी है। विवाह पहले धार्मिक विधि–विधान से पूर्ण किया जाता था। विवाह से सम्बन्धित संस्कारो में अब औपचारिकता रह गयी है। पुरोहित औपचारिक रूप में सूक्ष्म रूप एवं कम समय में विवाह सम्पन्न करवा देता है। विवाह होटल में सम्पन्न होता है।

- **विवाह से सम्बन्धित निषेधों में परिवर्तन**

वर्तमान समय में अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह को बढ़ावा मिला है बाल विवाह समाप्त होने लगे है। विलम्ब विवाहों का प्रतिशत बढ़ गया है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला है। देरी से विवाह करने का युवाओ में आजकल रिवाज सा बन गया है। विवाहित रहना है या अविवाहित इसका निर्णय युवा स्वयं करते है। विवाह करना नही करना व्यक्तिगत मामला हो गया है। समाज के प्रतिबन्ध इस मामलें में पहले जैसे नही रहे पुरूष एक से अधिक विवाह नही कर सकता। विवाह के मामले में महिला–पुरूष दोनो को समान अधिकार दिये गये हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार महिला को दूसरा विवाह करने का अधिकार नही दिया जाता था। वर्तमान में महिला भी पुरूष के समान किन्हीं परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर सकती है।

विधवा पुनर्विवाह में वृद्धि

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा जहां कानूनी आधार पर विधवाओं में विवाह की अनुमति प्राप्त हुई वहीं दूसरी तरफ उदारवादी, लोकतांत्रिक, समानतावादी मूल्यों के प्रसार एवं आधुनिक शिक्षा के कारण लोगों की तार्किकता बढ़ने से समाज में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिल रही है। जिसके फलस्वरूप समाज में विधवाओं की स्थिति पहले की तुलना में उन्नत हुई है।

अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह के नियमों में ह्रास

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह संबंधी कई सारे प्रावधानों पर प्रभाव डाला तथा इस अधिनियम ने सपिण्ड विवाह पर भले ही निषेध स्थापित किया है (हालांकि अधिनियम के अनुसार यदि स्थानीय प्रथा या रीति रिवाज सपिण्ड विवाह को अनुमति दे रहा है तो ऐसा विवाह किया जा सकता है) लेकिन सगौत्र विवाह को मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को भी पूर्णतः छूट प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात की है तथा सरकार का भी प्रयत्न इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का है।

इस प्रकार आज भारतीय समाज में अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह की कई सारी मान्यताएं धीरे–धीरे टूट रही है। अंतर्जातीय विवाह की घटनाएं बढ़ रही है लेकिन अभी भी इसका प्रतिशत काफी कम है तथा ये घटनाएं मुख्यतः शहरी, शिक्षित व आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवारों तक ही सीमित है तथा पारस्परिक भारतीय समाज की कई घटनाएं आज भी अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह की मान्यताओं पर काफी बल देती हुई दिखायी पड़ती है जैसे हाल के कुछ दिनों में हरियाणा में खाप पंचायतों का फैसला।

- **सामाजिक विधानों से परिवर्तन**

समाज की आवश्यकताओं, समाज कल्याण एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा सामाजिक नियत्रंण हेतु समय–समय पर जो अधिनियम या कानून पारित किए जाते है उन्हें सामाजिक विधान कहा जाता है।

सामाजिक अधिनियम सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है तथा वह लोगों के विचारों, विश्वासों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन का एक साधन भी है। इसके माध्यम से एक तरफ जहां विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास तथा समानता, स्वतंत्रता के वातावरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। विवाह एवं परिवार पर इन सामाजिक विधानों का गहरा प्रभाव पड़ा है जिसे हम दो कालों के आधार पर समझ सकते है।

- अंग्रेजी शासन काल में सामाजिक विधानों का प्रभाव
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में भारतीय विधानों का प्रभाव

अतः इन विभिन्न सामाजिक अधिनियमों की पूर्ण सफलता के लिए एक तरफ सरकारी प्रयासों मे तेजी लाए जाने की जरूरत है प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त कर प्रशासन की सवेंदनशीलता को बढ़ाए जाने की आश्यकता है दूसरी तरफ इन अधिकारों के बारे में समाज के विभिन्न वर्ग जैसे महिलाओं, बालकों, कमजोर वर्गो आदि में जागरूकता लिए जाने की जरूरत है। इसके लिए गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल समाज, पंचायती राज आदि संस्थाओं को पर्याप्त रूप से सक्रिय किये जाने की आवश्यकता है।

- **बच्चों को वैधता प्रदान करने संबंधी प्रकार्य**

बच्चों को वैधता प्रदान करने संबंधी कार्य में विवाह अभी भी काफी महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से बिना विवाह किए हुए लिव–इन–रिलेशन में रहने वाले प्रेमी युगल या अविवाहित रहने वाले व्यक्ति बच्चों को वैधता प्रदान करने की कोशिश करते है जैसे– एंजलिना जोली एवं सुष्मिता सेन आदि। हांलाकि यह प्रवृत्ति भी अपवादित ही है तथा यह मुख्यतः उच्च वर्ग एवं सेलेब्रेटी लोगों तक ही सीमित है।

- **दहेज प्रथा में वृद्धि**

विवाह के समय विनिमय के रूप में दहेज की प्रथा काफी बढ़ चुकी है पहले यह सिर्फ हिन्दू धर्म तक सीमित थी। वहीं अब मुस्लिम धर्म में भी मेहर एवं दहेज दोनों घटनाएं एक साथ दिखाई पड़ रही है तथा ऐसी घटनाएं शिक्षित, नगरीय परिवारों में और ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके फलस्वरूप कई तरह की सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, पारिवारिक विघटन आदि स्थितियों में वृद्धि दिखायी पड़ती है। सरकार एवं कई सारे संगठनों ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई सारे प्रयास किए है। दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों कानूनन जुर्म है लेकिन अभी भी ऐसी प्रवृत्ति दिखायी पड़ रही है।

- **अन्य परिवर्तन**

भारतीय समाज में निरन्तर परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिवर्तन ही समाज की प्रकृति हैं। विवाह में भी परिवर्तन तो हो रहे हैं, परन्तु इसकी गति कभी धीमी तो कभी बहुत तेज प्रतीत होती हैं। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, नवीन कानूनों का प्रभाव, महिला आन्दोलन, विज्ञान का प्रसार धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता ने विवाह के विभिन्न लक्षणों, लक्ष्यों, स्वरुपों आदि को प्रभावित किया हैं।

यौन आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवाह अभी भी महत्वपूर्ण साधन है विशेषकर विकासशील तथा परम्परागत मूल्य वाले देशों में। हालांकि विकसित पाश्चात्य देशों में यौन स्वतंत्रता, यौन संबंध, विवाह पूर्व यौन संबंध आदि के बढ़ने से कई विद्वानों का मानना है कि विकसित समाजों में यौन आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवाह किया जाना अनिवार्य नहीं है तथा यह प्रवृत्ति विकासशील देशों के महानगरीय संस्कृति में भी बढ़ती दिखायी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद इतना अवश्य है कि आज भी विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में यौन क्षुधा की पूर्ति के लिए विवाह ही सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है।

वैज्ञानिक विधियों के विकास के फलस्वरूप पितृत्व तथा मातृत्व संबंधी बोध के लिए विवाह ही अनिवार्य संस्था नहीं रह गयी है बल्कि कृत्रिम गर्भाधान, टेस्टट्यूब बेबी, सेरोगेट मदर (गर्भाश्य किराए पर देना) आदि के माध्यम से विकसित देशों में एवं कुछ विकासशील देशों की महानगरीय संस्कृति में उच्च वर्ग पितृत्व एवं मातृत्व के सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी भी यह विवादित स्थिति ही है।

विवाह संस्था के द्वारा पति–पत्नी के बीच के संबधं को समाज द्वारा जो वैधता मिलती है जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ जहां संबंधों में स्थायित्व आता है वहीं दूसरी तरफ बच्चों के समाजीकरण एवं उनके लालन–पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन आज महानगरीय समाजों में विभिन्न संस्थाएं जैसे– डे केयर सेंटर, क्रेंच आदि भी बच्चों के पालन–पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है।[10]

हालांकि समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में परिवार एवं विवाह का आज महत्व सभी समाजों में बना हुआ है। क्योंकि जो भावनात्मक सुरक्षा एवं भावनात्मक संबंध ये संस्थाएं प्रदान करती है वह कोई अन्य बाहरी संस्था प्रदान नहीं कर सकती।

कृषि युग में महिला–पुरूषों ने विवाह में स्थायित्व ढूंढा और परिवार के चारों ओर कुछ सांस्कृतिक मूल्यों का संसार भी रचा गया होगा। यहां भी बहुपतियों और बहुपत्नियों के समाज बने। राजाओं, धन्ना सेठों और महन्तों ने खुलेआम एकल परिवारो को केवल उसी सीमा तक माना, जहॉ तक उन्हे अपने साम्राज्यों और सम्पति के उत्तराधिकारियों की तलाश रही। स्वयं राजा दशरथ तीन पत्नियों के बावजूद भी नियोग से सन्तानों के रुप में पाण्डवों ने एक ही द्रोपदी के साथ विवाह कर, जो अर्जुन की प्रेयसी थी, के साथ अपना परिवार बसा लिया। भगवान श्रीकृष्ण के परिवार में राधा, रुकमणी, सत्यभामा, अन्य रानियॉ या गोपीयॉ किस–किस स्तर के परिवार की कैसी–कैसी सदस्यायें थी, यह प्रश्न भी समाजशास्त्र से अधिक धर्म और नैतिकता का विषय बन जाने कें कारण बहस से बाहर निकल गया। मुगलों के यहॉ तो ''हरम'' और ''मीनाबाजार'' ही नहीं बल्कि एक साधारण मुस्लमान को भी आज तक चार पत्नियों और उनकें बच्चों का परिवार बसाने का धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं।

विदेशों की तर्ज पर भारत में भी विवाह पूर्व और विवाह के पश्चात अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक तौर पर आकर्षित होना अब एक सामान्य बात हो गई है प्रायः देखा जाता है कि स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आपसी सहमति से शारीरिक संबंन्धो का अनुसरण करने लगते हैं परिपक्वता की कमी के कारण वह अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते और प्रेम के नाम पर शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तौर पर एक दूसरे का दोहन करते है इसके अलावा कई ऐसे विवाहित जोड़े भी है जो विवाहेत्तर संबंन्धों को स्वीकार करने में जरा भी नही हिचकिचाते।

आमतौर पर यही समझा जाता है कि पुरूष जो संबंधों के मामले में बहुत अधिक लापरवाह होते हैं, कभी भी किसी एक महिला के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता पर स्थायी नही रह पाते जिसके परिणामस्वरूप उनके ज्यादा अफेयर रखने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है, लेकिन यह धारणा आज के समय में सही प्रतीत नही होती क्योंकि अब महिलाएं भी स्थायित्व जैसे भावों में ज्यादा विश्वास नहीं रखती फिर चाहे वह कोई छात्रा हो या फिर विवाहित महिला। वैसे तो विवाह से पहले भी अधिक लोगों के साथ संबंध बनाना सामाजिक और नैतिक दोनो ही पहलुओं पर आघात से कम नहीं है, लेकिन अगर किसी विवाहित महिला या पुरूष द्वारा विवाहोतर संबंध स्वीकृत किए जाते हैं तो यह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

जब आप विवाहित होने के बावजूद विवाहेत्तर संबंध में पड़ते हैं और शादी करने का विचार रखने लगते हैं तो परिस्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कभी भी अपने पहले जीवनसाथी को भुला नहीं पाते। विवाह से बाहर संबंध रखने के पीछे कई कारण हो सकते है हो सकता है कुछ लोग अपने संबंध में खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित महसूस करते हों। इसके अलावा प्रेम भावनाओं की कमी, संबंध के प्रति आकर्षित करता है, लेकिन कुछ सिर्फ इसीलिए विवाहेतर संबंध में पड़ जाते हैं क्योकि वे अपने विवाहित साथी से ऊब चुके होते हैं, कुछ नया अनुभव करने के लिए वह यह सब हथकंडे अपनाते है, कारण चाहे कोई भी रहे लेकिन अंत में उन्हे और उनके परिवार को उनकी एक गलती को भुगतना पड़ता है।

समलैंगिक विवाह दो समान लिंग (पुरूष–पुरूष और महिला–महिला) के बीच शादी हैं और यह भारत में कानूनी मान्यता प्राप्त विवाह नही हैं। समलैंगिक विवाह को सक्षम बनाने के लिए आधुनिक समय में पहला कानून 21वीं सदी के पहले दशक के दौरान बनाया गया था। वर्ष 2000 में नीदरलैंड दुनिया का पहला देश बना था जहां पर समान लिंग के जोड़ों को शादी करने, तलाक लेने और बच्चों को गोद लेने को कानूनी वैधता हासिल हुई थी। इसके अलावा बेल्जियम (2003), कनाडा (2005), साउथ अफ्रीका (2006), नार्वे (2009), स्वीडन (2009), आइसलैंड (2010), पुर्तगाल (2010), अर्जेंटिना (2010), डेनमार्क (2012), फ्रांस (2013), यूनाइटेड किंगडम (मैरिज क्सेम सेक्स कपल एक्ट 2013द्व 2014) में उपयुक्त देशों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा मिल चुका है।

भारत में समलैंगिक सम्बन्धों को मान्य कर दिया गया है। भारत में पहले जहां आईपीसी धारा 377 के मुताबिक कोई किसी पुरूष, महिला या पशुओं से प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध सम्बन्ध बनाता है तो यह अपराध होगा। उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया जिनके आधार पर दो बालिगो के बीच निजी तौर पर सहमति से बनाए गए समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध माना जाता था तथा उच्चतम न्यायालय ने इसे ''गरिमा के साथ जीने के अधिकार'' के मौलिक अधिकार का उल्लघंन माना है।

हर समाज या समुदाय की कुछ निहित विशेषताएं होती हैं और उसी के अनुसार यहां प्रतीक गढ़ लिए जाते हैं। समाज का संयुक्तीकरण इन्ही लक्षणों या प्रतीकों के मूल्य स्थापित किए जाने के क्रम में होता रहता हैं। जो समाज इन्हे अस्वीकार कर देता हैं उसका वजूद एक इकाई के रुप में खत्म होने लगता हैं। भारतीय समाज हमेशा से ही एक मर्यादित, मानवीय मूल्यों और नैतिक संहिताओं पर आधारित समाज रहा हैं। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा और जीवन पद्धति का प्रवाह एक निश्चित गति से होता रहा हैं। समाज को एकीकृत रखने और तनाव मुक्त जीवन जीने देने में इसका मुख्य योगदान हैं।

वर्तमान युवा पीढी लिव–इन–रिलेशनशिप जैसे गैर सामाजिक संबंधों के प्रति अत्यधिक आकर्षित दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि विवाह के बंधन में बंधने से पहले एक–दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो वैवाहिक जीवन में ताल–मेल बैठा पाना और आसान हो जाता हैं।

हालांकि हमारा परंपरावादी समाज महिला और पुरुष को विवाह से पूर्व साथ रहने की इजाजत नही देता किन्तु अब हमारे युवाओं की मानसिकता ऐसी सोच को नकारने लगी है, जो उन्हे किसी भी प्रकार के बंधन में बांध कर रख सकें। इसीलिए युवा लिव इन में जाने से भी बिल्कुल नही हिचकिचाते।

वर्तमान समय में युवा विवाह के बाद एक दूसरे पर निर्भर नही रहते तथा वे अपने निर्णय स्वयं लेते है। युवतियाँ पति के अधीन नही रहती, वे बन्धन मुक्त एवं स्वतन्त्र रहती है, इसी कारण युवा अपने कैरियर एवं शिक्षा को ज्यादा महत्व देते है। एकांकीता की भावना ने युवाओं को आत्मकेन्द्रित बना दिया है, वे अपने बारे में ही सोचना पसन्द करते है। युवतियाँ ज्यादातर रोजगार प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना पसन्द करती है। युवतियों का मानना है कि वर्तमान परिवेश के कारण व्यक्ति की आर्थिक जरूरतें इतनी बढ़ गयी है कि इनको पूरा करने के लिए पति एवं पत्नी दोनों का रोजगार करना जरूरी हो गया है।

युवा अपने जीवन साथी के चुनाव में स्वयं की शिक्षा एवं व्यवसाय से तुलना करते है। जो युवा चिकित्सकीय शिक्षा ले रहे है वे चिकित्सक बनने के बाद चिकित्सक जीवन साथी का चुनाव करते है, युवतियाँ व्यवसायिक जीवन साथी को महत्व देती है जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हो। नौकरी पेशा एवं व्यवसायिक व्यक्ति मे युवतियाँ व्यवसायिक व्यक्ति को ज्यादा महत्व देती है। वर्तमान मे युवतियाँ ऐसे जीवन साथी का चुनाव करना पसन्द करती है, जिसका परिवार ज्यादा बड़ा नही हो, व्यवसाय के लिए अन्य कही रहता हो या अपने परिवार से अलग रहता हो एवं दिखने में आकर्षक व्यक्तित्व हो आदि।

भारतीय विवाह में बदलते वैवाहिक प्रतिमान के अध्ययन के दौरान बदलते वैवाहिक मापदण्ड व हिन्दू विवाह व्यवस्था का विघटन होता प्रतीत हो रहा हैं, यह पाश्चात्य सभ्यता व अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण घटित हो रहा हैं। परम्परागत समाज के रीति–रिवाज, मापदण्डों, कर्मकाण्ड में निरन्तर परिवर्तन हो रहा हैं। वर्तमान समय में महिला–पुरूष विवाह से अधिक स्वयं के कैरियर को महत्व दे रहे हैं। भौतिकवाद के कारण दहेज में वृद्धि, विवाह के अवसर पर हो रहे अनावश्यक खर्चे व दिखावा, विवाह में बढती असंगति, युवाओं में वैवाहिक जीवन से असंतुष्टि, उद्देश्यों में परिवर्तन, प्रेम और अन्तर्जातीय विवाह में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, विवाहित और अविवाहित में समानता, समाज में विवाह को संस्कार न मानकर एक समझौता जिसमें तेजी से बढ़ रहे विवाह विच्छेद आदि में वृद्वि देखी जा रही हैं।

किसी समाज की संस्कृति एक गत्यात्मक सामाजिक यथार्थ है जो निरन्तर परिवर्तनशील है। संस्कृति में परिवर्तन होने पर समाज की संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार, जाति, धर्म, नातेदारी आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन समाज की प्रकृति है। विवाह संस्था पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा है हालांकि इन परिवर्तनों की गति कभी बहुत धीमी हो गई तो कभी काफी तीव्र। वर्तमान समय में विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन हो रहे है। ये परिवर्तन युवा संस्कृति की प्रकृति के अनुसार हो रहे है। आज का युवा नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, नवीन कानूनों के प्रभाव, महिला आन्दोलन, विज्ञान के प्रसार, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, स्त्रियों की शिक्षा तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में रह रहा है। वैश्वीकरण के वातावरण ने युवाओं के दृष्टिकोणों को पहले से काफी बदल दिया है। युवाओं के बदलते दृष्टिकोणों का विवाह जैसी प्राथमिक सामाजिक संस्था पर प्रभावशाली असर डाला है।

समकालीन समाज में विवाह में अनेक परिवर्तन हो रहे है। यह परिवर्तन पति– पत्नी, परिवार तथा समाज से संबंधित है। विवाह के प्रति बदलते दृष्टिकोणों को विवाह संस्था के अनेक लक्षणों को बदला है, जैसे विवाह की आयु, विवाह के उद्देश्य, प्रकार, विधि–विधान, रीति–रिवाज, पति–पत्नी के अधिकार, संस्कारात्मक प्रकृति आदि। इनमें परिवर्तन में होना अवश्यम्भावी है क्योंकि आज हमारी विचाराधारा दृष्टिकोणों एवं संस्थाओं को कुछ कारक जैसे नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, संचार, यातायात के साधन, आधुनिक शिक्षा, व्यवसायिक बहुलता, तीव्र सामाजिक गतिशीलता, मीडिया, वैश्वीकरण आदि प्रभावित कर रहे है। विवाह धार्मिक संस्कार से एक सामाजिक और कानूनी समझौता बनता जा रहा है।

विश्व के सभी मानव समुदायों में महिला–पुरुष का सामाजिक मान्यता प्राप्त संयोग विवाह उनकी सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग रहा हैं तथा इस रुप में इसका महत्व अभी भी बना हुआ है। भारतीय आर्य वर्ग में इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, जो कि विभिन्न कालों में अपनी इस लंबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा है। फलतः इसमे अनेक प्रकार के देश कालगत अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इसके संस्कारगत स्वरुप पर विचार करने से पूर्व इसके ऐतिहासिक पक्ष पर विचार कर लेना हमारे लिए न केवल रुचिकर होगा, अपितु हमारे पुरातन सामाजिक स्वरुप को समझने में भी सहायक होगा। हिन्दू समुदाय में विवाह महिला और पुरुष के बीच सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध मात्र नहीं हैं। बल्कि इसका धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष भी हैं। यह मूलतः एक पवित्र बंधन व धार्मिक संस्कार हैं। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के लिए शारीरिक सुख मात्र न होकर उनका आध्यात्मिक विकास हैं।

मनुस्मृति में कठोर रीति–रिवाजों का उल्लेख मिलता हैं कि यही से समाज में वर्ग विभेद भी उभरा और कठोर मान्यताओं का प्रचलन शुरु हुआ। मनु ने स्वयंवर और दूसरी प्रचलित संस्थाओ पर कठोर रुख अपनाया व महिला–पुरुष की आपसी सहमति से कायम इन रिश्तो के घोर विरोधी थे। उन्होने स्त्रियों से वर चुनने की आजादी छीनी और स्थायी रुप से पुरुषों की छत्रछाया में सौंपा। उन्हें बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में बेटे के अधीन रखा गया।

इस प्रकार यह सत्य है कि विवाह के संदर्भ में कई सारे परिवर्तन दिखायी पड़ रहे है तथा ये परिवर्तन न केवल विकसित देश बल्कि विकासशील देशों में भी दिखायी पड़ रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बोगाडर्स, विलियम (1986), ''सोशियोलॉजी'', मैकमिलन एण्ड कं., न्यूयॉर्क
2. जॉनसन, एच.एम., (1954), ''सोशियोलॉजी : ए सिस्टैमेटिक इंट्रोडक्शन'', सेज पब्लिकेशन्स, न्यूयॉर्क, पृ. स. 148
3. वेस्टरमार्क, ई., (1921), ''द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज'', मैकमिलन एण्ड कं., न्यूयॉर्क, पृ.स. 24
4. गिलिन एण्ड गिलिन, (1950), ''कल्चरल सोशियोलॉजी'', मैकमिलन एण्ड कं., न्यूयॉर्क, पृ.स. 87
5. कपाड़िया, के.एम., (1966), ''मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड प्रेस, बॉम्बे, पृ.स. 177
6. सक्सेना, आर.एन., (1968), ''भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाए'', पुस्तक महल, आगरा, पृ.स. 22–23
7. साहू किशोरी प्रसाद, (1987) ''इस्लाम : उद्भव और विकास'', बिहार ग्रन्थ अकादमी, पटना
8. www.jagranjosh.com
9. कपाड़िया, के.एम., (1955) ''रूरल फैमिली पेर्टन्स'', सोशियोलॉजिकल बुलेटिन
10. कपाड़िया, के.एम., (1955) ''द फैमिली ट्रान्जिशन'', सोशियोलॉजिकल बुलेटिन

❖◆❖